



2026:AHC-LKO:6941-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 1205/2025

सुनीता मिश्रा

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, लखनऊ एवं 5 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – राजेश कुमार पाल, शैलेन्द्र कुमार मिश्रा

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अनित ए द्विवेदी, अवधेश कुमार मिश्रा, मनीष जौहरी,
पुनीत चन्द्रा

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। उत्तर प्रदेश विद्युत निगम के विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत चंद्र उपस्थित हैं।
2. श्री पुनीत चंद्र का कथन है कि विद्युत निगम मात्र उन लोगों को नोटिस जारी कर सकता है जिन्होंने हाई टेंशन विद्युत लाइन के नीचे मकान बनाए हैं, इसके अलावा उन्हें बेदखल करने या उनके मकानों को ध्वस्त करने का कोई अन्य अधिकार नहीं है।
3. विपक्षी संख्या 6 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि नक्शा स्वीकृत होने के बाद निर्माण कार्य किया गया है। हम इस कथन पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं।
4. उपरोक्त के दृष्टिगत, यह जनहित याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

30 जनवरी, 2026

अनुज सिंह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।